



ई- समाचार पत्रिका



प्रति संख्या 2/2023-24

जुलाई-सितंबर 2023

वनस्पति संरक्षण सलाहकार की कलम से....

समय के साथ कृषि गतिविधियों में लगातार परिवर्तन हो रहा है और इस वजह से पादप सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव एवं सकारात्मक गतिविधियों से अवगत रहना समय की ज़रूरत है। ई-न्यूज़लेटर के वर्तमान संस्करण के माध्यम से कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है।

1. पेस्ट सर्वेक्षण/निगरानी: सक्षम एवं सतत निगरानी वनस्पति संरक्षण की आधारशिला है। उन्नत प्रौद्योगिकियों यथा: रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, एआई/एमएल और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग पेस्ट प्रकोपों की निगरानी एवं समय से चेतावनी जारी करने की हमारी क्षमता को काफी प्रभावी एवं सरल बना सकती है। यह हमें आवश्यकतानुसार फसलों पर आवश्यक कार्यवाई करने में सक्षम बनाता है और अग्रिम सूचना समय से ज़रूरी गतिविधि चलाने तथा फसलों पर पेस्ट के संभावित नुकसान को रोकने अथवा न्यूनतम करने में सहयोग करता है।

कृषि को लाभप्रद बनाने और किसानों के हितसंवर्धन के उद्देश्य से, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने “राष्ट्रीय पेस्ट निगरानी प्रणाली” (एनपीएसएस) के शुरुआत की पहल की है। इस प्रणाली का उद्देश्य पेस्ट पूर्वानुमान के लिए नवीनतम एआई/एमएल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर पेस्ट आक्रमण से होने



वाले नुकसान को समाप्त करने के लिए कृषक समुदाय को अग्रिम चेतावनी तथा तात्कालिक समाधान प्रदान करना है।

इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि सलाह सभी संबंधित क्षेत्रों तक समय पर और अधिमानतः पेस्ट क्षति से पहले पहुंच जाए। “एनपीएसएस” को वनस्पति सं. संगरोध एवं संग्रह निदेशालय तथा आईसीएआर-एनसीआईपीएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और वर्तमान में एनपीएसएस प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावशीलता को परखने के लिए सभी सीआईपीएमसी द्वारा नियमित सर्वेक्षण के दौरान इसका उपयोग किया जा रहा है।

2. पादप संगरोध: परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, आक्रामक कीटों और बीमारियों के प्रसार का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। हानिकारक जीवों के आगमन और उनके विस्तार को रोकने के लिए पादप संगरोध उपायों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। हमारे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है

कि पादप संगरोध प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्बंधित पक्ष सहयोगात्मक रूप से काम करें।

3. वनस्पति संरक्षण के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग: स्थायी एवं सुरक्षित कृषि के लिए नवाचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नई तकनीकों जैसे: सटीक मौसमी भविष्यवाणी, स्मार्ट सेंसर और जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि को अपनाने से हमें संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने, पर्यावरणीय क्षति को कम करने एवं समग्र फसल स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद मिलती है। आइए एक बेहतर भविष्य के लिए कृषि में अनुसंधान एवं अत्याधुनिक समाधानों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करें।

4. एकीकृत पादप स्वास्थ्य प्रबंधन (आईपीएचएम): रासायनिक पेस्टिसाइड पर निर्भरता कम करने के लिए एकीकृत पादप स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देना आवश्यक है। जैविक नियंत्रक, व्यवहारिक/यांत्रिक तकनीक एवं रसायनों के संयोजन तथा कृषि में इनके विवेकपूर्ण उपयोग से संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं जो फसल उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। यह ज़रूरी है कि हमारे सभी केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आई.पी.एम.) केंद्र, रबी सीजन के दौरान सतर्क निगरानी बनाए रखें। आईपीएम प्रभाग ने रबी सीजन - 2023-24 के दौरान 103

किसान खेत पाठशाला (एफएफएस), 49 - दो दिवसीय एचआरडी प्रशिक्षण, कुल 5- पांच दिवसीय एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आम की फसल पर 01 सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम (एसएलटीपी) आयोजित करने की योजना बनाई है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से आक्रामक पेस्ट की समस्या:

पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से टिड्डियों के झुंड के प्रवेश की सम्भावना हमारी फसलों के लिए एक बड़ा खतरा है। कृषि पर इसके नुकसान को कम करने एवं प्रभावी टिड्डी नियंत्रण के लिए डीपीपीक्यूएस ने प्रारंभिक पहचान, समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जोड़कर एक सक्षम प्रणाली विकसित की हैं। जलवायु परिवर्तन सीमा पार कीट प्रकोप की आवृत्ति और तीव्रता को प्रभावित कर सकता है। बदले हुए मौसम के पैटर्न, तापमान में उतार-चढ़ाव और वर्षा में बदलाव से कीट प्रसार के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं, जिससे किसानों और कीट नियंत्रण अधिकारियों के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सीमा पार से कीटों के आगमनजनित उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, टिकाऊ कृषि पद्धतियां एवं कीट-प्रतिरोधी फसल किस्मों पर शोध शामिल होना चाहिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता पर ऐसे संभावित कीट आक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

6. स्थायी वनस्पति संरक्षण:

निरन्तरता हमारे प्रयासों का मूलमंत्र है। दीर्घकालिक सफलता के लिए उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता और जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाली तकनीकों के अंगीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है, तभी हम कृषि के बड़े विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अबतक के

अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि वनस्पति संरक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक एवं दूरदर्शी प्रयासों की आवश्यकता है। अपने आस-पड़ोस में हो रही घटनाओं के प्रति जागरूक रहकर, नवाचार को अपनाकर और स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देकर, हम एक सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि तंत्र बना सकते हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था एवं हमारे परिवेश दोनों की बेहतरी में सहायक रहेगा।

वनस्पति संरक्षण की दिशा में आप सभी के प्रयास एवं रुचि के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ की हम सभी के सम्मिलित प्रयास, पर्यावरण को और ज्यादा हरा - भरा एवं समृद्ध बनाने में सहयोगी होंगे।

- जे. पी. सिंह
वनस्पति संरक्षण सलाहकार



सूची:

- प्रमुख कार्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता
- विशिष्ट अतिथि का भ्रमण
- प्रशिक्षण और कार्यशालाएं
- विशिष्ट उपलब्धि एवं समारोह
- भारत के राजपत्र - महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं
- मीडिया कवरेज
- प्रकाशन

प्रमुख कार्यक्रम

एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (सीआईपीएमसी के प्रयास):

➤ इस अवधि के दौरान 3.03 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया और महत्वपूर्ण नाशीजीवों के प्रबंधन के लिए 03 परामर्शिकाएं जारी की गईं।
➤ समाप्त तिमाही के दौरान नाशीजीव प्रबंधन के लिए 0.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 819.276 मिलियन जैवनियन्त्रण कारक- जारी किए गए।

- 1.86 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैव- नियंत्रण कारकों का सफलतापूर्वक संरक्षण किया गया।
- खरीफ सीजन के दौरान कुल 103 किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया गया जिसमें 3605 किसानों और राज्य कृषि विभाग के कर्मचारियों को आईपीएम पर प्रशिक्षण दिया गया।
- कुल 37 "दो दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम" आयोजित किए गए जिसमें 2127 कृषि विस्तार अधिकारी, गैर सरकारी संस्था, अग्रणी किसान, निजी उद्यमी को आईपीएम उपायों पर प्रशिक्षित किया गया।
- कुल 5 "पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम" आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न राज्यों के 200 कृषि विस्तार अधिकारी को आईपीएम उपायों पर प्रशिक्षित किया गया।

वनस्पति संगरोध (केन्द्रों द्वारा किए गए प्रयास):

- ▲ कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने में सहयोग करते हुए इस दौरान 92.21 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कुल 1,33,102, पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी किये गए।
- ▲ 43.16 लाख मीट्रिक टन आयातित कृषि उत्पादों का निरीक्षण उपरांत कुल 32,885 आयात निगमन मंजूरी जारी की गई।
- ▲ प्रभावी पादप संगरोध निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से आयातित कृषि उत्पादों में 387 संगरोध नाशीजीवों का पता लगाकर भारत में प्रवेश को रोकने में सफलता मिली।
- ▲ पादप स्वच्छता और बाजार पहुंच के विषयों पर दिनांक - 03.08.2023 को ब्राजील के साथ ऑनलाइन तकनीकी द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।
- ▲ दिनांक: 17.08.2023 को ऑनलाइन तकनीकी द्विपक्षीय बैठक के माध्यम से भारत और मैक्सिको के बीच कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात के लंबित मुद्दों का समाधान किया गया।
- ▲ डोमिनिकन गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित भारत यात्रा एवं विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) की पेरू और पैराग्वे की प्रस्तावित यात्रा के उद्देश्य से दिनांक 18.09.2023 को ऑनलाइन तकनीकी द्विपक्षीय बैठक (आई.एम.एम.) आयोजित की गई।

तिमाही के दौरान एजेंसियों के पंजीकरण/मान्यता प्रमाणपत्र का विवरण

पंजीकृत/मान्यता प्राप्त एजेंसियों के नाम	संख्या
मिथाइल ब्रोमाइड (एमबीआर)	15
एल्यूमिनियम फॉस्फाइड (एएलपी)	16
फ़ोर्स हॉट-एयर ट्रीटमेंट (एफएचएटी)	22
गर्म पानी विसर्जन उपचार (HWIT)	02
वाष्प ताप उपचार (वीएचटी)	01
संशोधित वातावरण उपचार सुविधाएं [CO2]	02
यूरोपीय संघ के देशों में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए पैक हाउस	04
संयुक्त राज्य अमेरिका को चावल निर्यात के लिए चावल मिलें/प्रसंस्करण इकाइयाँ	15
चीन को चावल निर्यात के लिए चावल मिलें/प्रसंस्करण इकाइयाँ	16
मिर्च के निर्यात के लिए गोदाम	01
मूंगफली के निर्यात के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ	02
ऑस्ट्रेलिया को अनार के दाने के निर्यात के लिए पैक हाउस	01
ऑस्ट्रेलिया में अनार के फलों के निर्यात के लिए पैक हाउस	01

नई नियुक्तियां:

समाप्त तिमाही के दौरान निदेशालय में कुल 15 नए लोगों ने वैज्ञानिक सहायक, तकनीकी सहायक, मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद पर योगदान दिया।

शुभकामनाएं

केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, क्षेत्रीय नाशीजीव जांच प्रयोगशाला एवं तकनीकी विधायी अनुभाग:

- ▲ आर.पी.टी.एल. के द्वारा कुल 1,450, नाशीजीवनाशकों के नमूनों का परीक्षण किया गया इनमें से 41 को निम्न मानक (Misbranded) घोषित किया गया।
- ▲ सी.आई.एल. ने 514 नाशीजीवनाशकों के नमूनों का परीक्षण किया, जिनमें से 119 निम्न मानक (Misbranded) के पाए गए।

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति:

पंजीकरण समिति के द्वारा कुल 12,222 नाशीजीवनाशकों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें 46 बायो-पेस्टिसाइड, 435 निर्यात एवं 11,684 रासायनिक नाशीजीवनाशकों के लिए जारी हुए।

टिड्डी चेतावनी संगठन (LWO/LCO/FSIL द्वारा किए गए प्रयास):

- ▲ रेगिस्तानी टिड्डी सर्वेक्षण कार्य 59.172 लाख हेक्टेयर में किया गया एवं इसी अवधि के दौरान भारत और पड़ोसी देशों में टिड्डी की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कुल 06 टिड्डी सूचना बुलेटिन प्रकाशित किये गए।
- ▲ 10.08.2023 से 17.08.2023 तक की अवधि में कुल 836 हेक्टेयर क्षेत्र में रेगिस्तानी टिड्डी का नियंत्रण किया गया।
- ▲ इस अवधि में भौतिक रूप से एक भारत-पाक सीमा बैठक का आयोजन एवं सदस्य देशों के साथ प्रारंभिक डी.एल.सी.सी. सत्र के तहत एक एस.डब्ल्यू.ए.सी. ऑनलाइन मीटिंग आयोजित किया गया।

टिड्डी नियंत्रण में द्विपक्षीय सहयोग

अर्जेटीना दूतावास के कृषि विशेषज्ञ श्री कमलेश मिश्रा एवं कृषि अताशे श्री मारियानो बेहरान ने निदेशालय का भ्रमण करने के साथ ही भारत और अर्जेटीना के बीच टिड्डी नियंत्रण और प्रबंधन में तकनीकी सहयोग पर चर्चा की।

**योजना और समन्वय इकाई:**

- निदेशालय के 27 नवनियुक्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (NIPHM) हैदराबाद में प्रारंभिक / परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया गया।
- इसी अवधि के दौरान सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त कुल 26 आर.टी.आई. अनुरोध एवं 21 शिकायत/ परिवाद का समाधान किया गया।
- सभी संसदीय प्रश्नों का मसौदा उत्तर निर्धारित समय अवधि के भीतर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को भेजा गया।
- निदेशालय के वेबसाइट (<https://ppqs.gov.in/>) पर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत ऑनलाइन प्रकटीकरण का पारदर्शिता ऑडिट वर्ष 2022 - 23 के लिए "अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फ़रीदाबाद" के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।

**प्रकाशन**

✦ Raju, J., Thimmegowda, P.R., Elangovan, C., Sunita Pandey and J. P. Singh, 2023. Occurrence, characterization and management of Srilankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) in cassava growing Namakkal district of Tamilnadu, *Journal of Eco-friendly Agriculture*, 18 (2): 377-381.



"कृषि पर चिंतन शिविर"

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7-8 जुलाई 2023को एनएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में दो दिवसीय "कृषि पर चिंतन शिविर" का आयोजन किया गया था। इस शिविर में डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी), डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए, डॉ. अर्चना सिन्हा, सं.निदे.(रसायन), डॉ. सुनीता पांडे, सं.निदे (की.वि.), डॉ. वंदना पांडे, उप निदे. (व.रो.वि.), श्री ज्ञानेश्वर बंछोर, उप निदे. (की.वि.), डॉ. ब्रिजेश त्रिपाठी, उप निदे. (रसायन), डॉ. सोनई राजन, स. निदे. (की.वि.), डॉ. रामन्ना कौलागी, स. निदे. (की.वि.), विशाल गटे, व.सं.अधि. (व.रो.वि.) एवं डॉ. नरेंद्र गुंडा, स. व.सं.अधि. (की.वि.) ने में भाग लिया। यह चिंतन शिविर कृषि में सुधार एवं कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचारों के उपयोग पर चर्चा तथा विचार-मंथन पर केंद्रित था।

Chintan Shivir on Agriculture

7th to 8th July 2023

Thematic Session

- Climate Resilient Agriculture
- Private Sector in Agriculture
- Ease of doing farming/Business with special reference to the regulatory regimes around seeds, planting material
- Strengthening Extension System
- Enhancing Export of Agriculture Products
- INM, Soil health, Use of nano-urea
- Digital Technology



वैश्विक बायो-पेस्टिसाइड शिखर सम्मेलन

डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए ने 27 अगस्त 2023 को दमास इंटरनेशनल होटल, बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित "ग्लोबल बायोपेस्टिसाइड्स समिट - 2023" में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और सभा को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन में भारत, किर्गिस्तान तथा अन्य सीआईएस देशों के प्रमुख बायो-पेस्टिसाइड उद्यमों के साथ-साथ उनके वैज्ञानिक और नियामक विशेषज्ञ शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

रासायनिक प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीसीएम 5)

25 से 29 सितंबर, 2023 के दौरान बॉन, जर्मनी में आयोजित रासायनिक प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीसीएम 5) के पांचवें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में डॉ. वंदना सेठ, संयुक्त निदेशक (रसायन विज्ञान) ने भाग लिया।



वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय



देशप्रेम की भावना से भरा दिन

Happy
Independence
Day

15 अगस्त को निदेशालय के समस्त कर्मचारियों द्वारा 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह का आयोजन सीआईबी एंड आरसी परिसर में किया गया। डॉ. जे.पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने तिरंगा फहराया एवं उपस्थित जनों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा रोचक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी की गयी।



पेस्टिसाइड्स / नाशीजीवनाशक

आईपीएम विशेषज्ञ



नमस्ते!! किसान भाई, क्या मैं आपकी फसल के खेत में कीड़ों की समस्या और आप किस कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, यह जान सकता हूँ?



लेकिन, हमें छिड़काव से पहले संबंधित कीट के बारे में पता होना चाहिए और अधिक नुकसान होने पर ही कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए।

मैं एहतियात के तौर पर हर साल अपनी फसल में इन कीटनाशकों का छिड़काव करता हूँ और मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता!



ठीक है, लेकिन हमें कीट की समस्या के अनुसार फसल और कीटों के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का चयन करना होगा अन्यथा कीटनाशक स्प्रे अप्रभावी होगा और कभी-कभी यह आपके स्वास्थ्य, फसलों और पशुधन को नुकसान पहुंचा सकता है।

मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉ. साहब।



पेस्टिसाइड का उपयोग.....

पहले कीट को जानें



नमस्ते सर, मुझे इस कीट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं हर साल अपने खेत में कीटनाशक इस्तेमाल करता हूँ।



निदेशालय द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम



14.07.2023 को आरसीआईपीएमसी कोलकाता में "डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स" (डीईएसआई) के प्रशिक्षुओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सह एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया था, जिसमें आरकेएमवीईआरआई के "शष्य श्यामला कृषि विज्ञान केंद्र" सोनारपुर, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के 80 प्रशिक्षु शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम आईपीएम तकनीक, कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971, कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग, फसलों के लिए अनुशंसित कीटनाशकों पर केंद्रित था।

सीआईपीएमसी एर्नाकुलम ने 31.07.2023 को कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा प्रशिक्षु इनपुट डीलर्स (डीईएसआई) के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षुओं को आईपीएम, कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग, परभक्षी एवं परजीवियों के उत्पादन प्रोटोकॉल तथा जैव-नियंत्रण एजेंटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में बताया गया। इडुक्की जिले के इलायची किसानों के लिए बायोकंट्रोल एजेंटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 17.07.2023 को आयोजित किया।



सीआईपीएमसी पोर्ट ब्लेयर द्वारा दिनांक: 28.07.2023 को दक्षिण अंडमान के नामुनागढ़ गांव में बीज उपचार जागरूकता कार्यक्रम अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

सीआईपीएमसी जयपुर ने 14.07.2023 से 16.07.2023 तक राजस्थान राज्य के 38 कृषि विद्यार्थियों को ग्लाइफोसेट के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीआईपीएमसी, एर्नाकुलम:

आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम सीआईपीएमसी एर्नाकुलम द्वारा केरल राज्य कृषि विभाग और मसाला बोर्ड के अधिकारियों के लिए 4 से 8 सितंबर 2023 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया।



इस शिविर में एर्नाकुलम, अलाप्पुझा और कोट्टायम जिलों के 30 कृषि अधिकारियों, 01 जिला पादप स्वास्थ्य प्रबंधक, 07 कीट स्काउट्स और मसाला बोर्ड के 02 कृषि विस्तार अधिकारियों सहित कुल 40 प्रतिभागियों को आईपीएम पर प्रशिक्षित किया गया।

आरसीआईपीएमसी, लखनऊ:



आरसीआईपीएमसी लखनऊ ने 4 से 8 सितंबर, 2023 तक पांच दिवसीय एचआरडी ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में राज्य कृषि विभाग के 40 अधिकारियों और अन्य विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

सीआईपीएमसी, नासिक:

सीआईपीएमसी नासिक ने महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग के 38 कृषि सहायकों/पर्यवेक्षकों के लिए "ग्रामीण कृषि विस्तार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान" (RAMETI), नासिक



में 11 से 15 सितंबर 2023 तक पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया। इस शिविर में आई.पी.एम. आधारित पेस्ट प्रबंधन तकनीक एवं टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि से सम्बंधित ज्ञान तथा कौशल पर प्रशिक्षण दिया गया।



आरसीआईपीएमसी गुवाहाटी ने 20.09.2023 और 21.09.2023 की अवधि में ग्राम-टोपंगटोली, ब्लॉक-डिमोरिया, जिला- कामरूप (एम) में एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। कार्यक्रम में कुल 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 49 महिला किसान थीं। प्रशिक्षण के दौरान डॉ.

जे.पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार, श्री मधुरम पतिरी, संयुक्त कृषि निदेशक (पीपी) एवं श्री संदीप कुमार भुइयां निगरानी अधिकारी (पीपी) कृषि निदेशालय, असम ने सहभागिता की तथा विभिन्न आईपीएम तकनीकों पर अपना व्याख्यान दिया।

डॉ. जे.पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने आरसीआईपीएमसी कोलकाता द्वारा 22 सितंबर से 23 सितंबर तक आयोजित दो दिवसीय एचआरडी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण गांव उत्तर सोनापुर, अलीपुरद्वार-1 ब्लॉक, अलीपुरद्वार जिले (प. बंगाल) में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार एवं आरसीआईपीएमसी, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित रहें।



इतिहास के पन्नों से

समय के साथ आई.पी.एम.

1950's

डीडीटी एवं अन्य पेस्टिसाइड के प्रति व्यापक प्रतिरोध
1962 में, राचेल कार्सन द्वारा प्रकाशित पुस्तक "साइलेंट स्प्रिंग" में कीटनाशकों के उपयोग से हो रहे नुकसान के बारे में चिंता जताई गई, इसके बाद डीडीटी और अन्य कीटनाशकों पर प्रतिबंध तथा पेस्टिसाइड के सुरक्षित उपयोग पर गंभीरता से चर्चा शुरू हुई।

1957-58

सीपीपीएस की स्थापना
1957-58 के दौरान 13 केंद्रीय पादप संरक्षण स्टेशन (सीपीपीएस) स्थापित किए गए एवं 1966 में केंद्रीय पादप संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान (सीपीपीटीआई) की स्थापना हैदराबाद में की गई। बाद में इसका नाम बदलकर **एनपीपीटीआई** और **एनआईपीएचएम** किया गया।

1967

आईपीएम अवधारणा
1967 में आर.एफ. स्मिथ और आर. वैन डेन बॉश द्वारा आईपीएम अवधारणा पर चर्चा शुरू की गई थी। इसके बाद दुनिया भर में कई सरकारों ने एकीकृत नशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) को पालिसी के रूप में अपनाया।

1970-71

सी.एस.एस. एवं सी.बी.सी.एस. की स्थापना
1970-71 के दौरान, 19 केंद्रीय निगरानी स्टेशनों और 5 केन्द्रीय जैविक नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना की गई। बाद में सीबीसीएस की संख्या बढ़ाकर 11 हो गई।

1985

भारत ने आईपीएम को आधिकारिक रूप से मंत्रिस्तरीय नीति घोषित किया
1985 में भारत के तत्कालीन माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा आईपीएम पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई।

जारी...

कपास की फसल पर सीज़न लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम (एसएलटीपी)

क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र (आरसीआईपीएमसी), नागपुर ने कपास की फसल पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य कृषि अधिकारी के लिए सीज़न लॉन्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएलटीपी) दिनांक: 27 सितंबर 2023 से प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम दिनांक 26.10.2023 तक चलेगा।



सब्जी उत्पादक किसानों और निर्यातकों के लिए आईपीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीआईपीएमसी त्रिची की सहभागिता

वनस्पति संगरोध केंद्र, मदुरै एवं मैसर्स एस.एस. एक्सपोर्ट्स पैक हाउस (एपीडा और एनपीपीओ पंजीकृत) वीराचिकमपट्टी, डिंडीगुल द्वारा आयोजित सब्जी उत्पादक किसानों और निर्यातकों के लिए 'आईपीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम' में सीआईपीएमसी, त्रिची ने 06.07.2023 को भाग लिया। प्रशिक्षणके



दौरान सब्जियों और फलों की फसलों के लिए आईपीएम तकनीक, पेस्टिसाइड के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग, बीज उपचार, सब्जी और फलों की फसलों में जैव-कीटनाशकों के उपयोग और विभिन्न प्रकार के ट्रैप एवं जैव-नियंत्रण एजेंटों पर चर्चा की गई

महत्वपूर्ण
घटना एवं
विशिष्ट उपलब्धि

डॉ. जे. पी. सिंह, पीपीए को
"राव बहादुर येलसेटी रामचन्द्र
राव मेमोरियल अवार्ड 2023"
से सम्मानित किया गया



लोयोला कॉलेज, चेन्नई में "कृषि और औद्योगिक कीट विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान में हालिया प्रगति और पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा पर उनके प्रभाव" विषय पर 29 और 30 सितंबर को आयोजित 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान डॉ. जे.पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार को "राव बहादुर येलसेटी रामचंद्र राव मेमोरियल अवार्ड 2023" से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से डॉ. बी. वसंतराज डेविड फाउंडेशन, चेन्नई और एंटोमोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं लोयोला कॉलेज, चेन्नई द्वारा प्रदान किया गया।



भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के साथ सहयोग

सीआईपीएमसी, एर्नाकुलम ने भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के साथ सहयोग करते हुए कीट निगरानी कार्यक्रम के उद्देश्य से चावल अनुसंधान स्टेशन, विटिला, केरल में फेरोमोन ट्रैप लगाने की शुरुआत की।



राज्य स्तरीय "वेलान संगमम -2023" (कृषि एक्सपो) में भागीदारी

तमिलनाडु राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पुरे राज्य के किसानों के लिए नवीनतम तकनीक और नवाचार का प्रसार करने के उद्देश्य से केयर इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिची में 27 से 29 जुलाई 2023 के दौरान "वेलान संगमम 2023" (कृषि एक्सपो) का आयोजन किया। इस मेगा कृषि एक्सपो 2023 में, सीआईपीएमसी, त्रिची ने भाग लेकर आईपीएम तकनीक, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण (एईएसए) के महत्व, आईपीएम में जैव-नियंत्रण और जैव-कीटनाशकों की भूमिका, जैव-नियंत्रण एजेंटों की बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं मनुष्य पर पेस्टिसाइड का दुष्प्रभाव प्रभाव, कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग आदि विषयों पर प्रदर्शनी लगाकर प्रचार-प्रसार किया।



किसान दिवस समारोह के अवसर पर प्रदर्शनी

दिनांक: 17.08.2023 को माला कृषि भवन, त्रिशूर जिले द्वारा आयोजित किसान दिवस समारोह के मौके पर सीआईपीएमसी, एर्नाकुलम ने आई.पी.एम. प्रदर्शनी अयोजित किया।

सीआईपीएमसी एर्नाकुलम द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का शुभारम्भ

सीआईपीएमसी, एर्नाकुलम ने किसानों को प्रारंभिक कीट निदान एवंसलाहकार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 4 सितंबर 2023 को "प्लांट हेल्थ क्लिनिक" की शुरुआत किया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक



का उद्घाटन डॉ. सुनीता पांडे, संयुक्त निदेशक (की.वि.), आईपीएम डिवीजन द्वारा किया गया। किसानों की सुविधा एवं क्लिनिक के प्रसार के लिए "आईपीएम केरल राज्य" व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें किसान प्लांट हेल्थ क्लिनिक के क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी फसल की तस्वीरों के साथ खेत में नजर आ रही कीट या बीमारी के बारे में प्रश्न पोस्ट कर उसके उचित निदान की सूचना पा सकते हैं।

बीबीटीडी क्या है?

"बनाना बंची टॉप रोग" केले की गंभीर बीमारियों में से एक है, जो विनाशकारी डीएनए वायरस (बीबीटीवी) के कारण होता है एवं इसका नियंत्रण बहुत मुश्किल है।

रोग का फैलाव

पहली बार 1879 में केला के कैवेंडिश किस्मों पर फिजी में इस रोग की पहचान की गई थी और अब यह दुनिया भर में फैल गया है। भारत में यह रोग 1940 में श्रीलंका से आया। प्रमुखता तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस रोग की समस्या पाई जा रही है। इस रोग का विस्तार एफिड वेक्टर एवं संक्रमित सकर्स द्वारा होता है।

रोग के लक्षण

पौधे बौने हो जाते हैं एवं गुच्छेदार पत्तियाँ बन जाती हैं।

पत्ती शिराओं के साथ गहरे हरे रंग की धारियाँ नजर आती हैं जिन्हें "मोर्स कोड" कहा जाता है मध्य शिरा पर समाप्त होती हैं एवं इसे "जे-हुक" लक्षण कहा जाता है।

एफिड वेक्टर - पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा द्वारा इस रोग का फैलाव होता है एवं नए पौधारोपण के लिए संक्रमित सकर्स एवं संक्रमित उपकरणों का उपयोग भी रोग प्रसार में सहायक हैं।

पत्तियों के किनारे पीले होकर सूखने लग जाते हैं।

घरेलू संगरोध (प्रतिबंध): डीआईपी अधिनियम, 1914 के तहत असम, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु राज्यों से केले के फल को छोड़कर, केले के पौधे या मूसा प्रजाति के किसी भी अन्य पौधे एवं उसके तना, पत्ती, फूल और कोई अन्य भाग जिसका उपयोग संबर्धन के लिए किया जा सकता है अथवा केले के पौधे की सामग्री या मूसा जीनस का कोई अन्य पौधा जिसका उपयोग पैकिंग और लपेटने के लिए किया जा सकता का व्यापार अथवा परिवहन अन्य राज्य में प्रतिबंधित है।

सार्वजनिक खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

7 अगस्त से 12 अगस्त, 2023 के दौरान "अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद" में आयोजित 'सार्वजनिक खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेसिक) में डॉ. के. एल. गुर्जर, संयुक्त निदेशक (व.रोग वि.) ने भाग लिया।

संपर्क अधिकारियों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला (डब्ल्यूएलओ एससी/एसटी-26)

17 से 18 अगस्त 2023 के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित, संपर्क अधिकारियों (एससी/एसटी) (डब्ल्यूएलओ एससी/एसटी-26) के लिए ऑनलाइन कार्यशाला में डॉ. जी.के. बुनकर, उप निदेशक (की.वि) सह नोडल अधिकारी (एससी/एसटी एवं ओबीसी) ने भाग लिया।

"जैव सुरक्षा : नीतियां, निदान, पादप स्वच्छता उपचार और मुद्दे" पर डीबीटी-प्रायोजित प्रशिक्षण

04 से 14 सितंबर, 2023 के दौरान आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली द्वारा "जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा: नीतियां, निदान, फाइटोसैनिटरी उपचार एवं मुद्दे" विषय पर आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में निदेशालय के 15 अधिकारियों ने भाग लिया।

पेस्टिसाइड उपयोग तकनीक एवं सुरक्षा उपायों पर प्रशिक्षण

21 से 25 अगस्त, 2023 के दौरान राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद द्वारा पेस्टिसाइड प्रयोग तकनीक एवं सुरक्षा उपायों पर आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में निदेशालय के 25 अधिकारियों ने भाग लिया।

गणमान्य अतिथियों का भ्रमण

श्री. धर्मेंद्र दास, प्रभारी निदेशक (विकास), मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने आईपीएम संग्रहालय और सीआईपीएमसी, एर्नाकुलम की बायोकंट्रोल प्रयोगशाला का भ्रमण किया।



डॉ. डी.के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, श्री अनिल कुमार सागर, उप निदेशक (पौधा संरक्षण) उत्तर प्रदेश सरकार तथा डॉ. बी. पी. शाही, प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक, के.वी.के., अयोध्या ने आरसीआईपीएमसी, लखनऊ के जैव-नियंत्रण प्रयोगशाला का दौरा किया।

स्वच्छता अभियान

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान के तहत निदेशालय के सीआईएल और सीआईबी एंड आरसी, परिसर में सफाई अभियान का आयोजन दिनांक 01.10.2023 को किया गया। इस दौरान वनस्पति संरक्षण सलाहकार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने परिसर में वृक्षारोपण एवं श्रमदान कर साफ-सफाई में योगदान दिया।



इसी तरह के कार्यक्रम निदेशालय के विभिन्न कार्यालयों में भी आयोजित किए गए। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई में योगदान दिया।





भारत के राजपत्र --- महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं

विनाशकारी कीट एवं पीड़क अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) में

एस. ओ. 3246(ई), 20 जुलाई, 2023 के द्वारा पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में संशोधन --

1. एलियम सैटिवम (लहसुन), कॉलम संख्या (3) में खपत के लिए ताजा बल्ब के रूप में, कॉलम (4) में भूतान, कॉलम (5) में शून्य और कॉलम (6) में पौधे के अवशेष, खरपतवार के बीज और मिट्टी से मुक्त रूप में उपरोक्त प्रविष्टियाँ क्रमशः सम्मिलित की जाएगी।

2. बीटा वल्गेरिस (बीट रूट), कॉलम संख्या में (3) उपभोग के लिए ताजी जड़ों के रूप में, कॉलम (4) में भूतान, कॉलम (5) में शून्य और कॉलम (6) में पौधों के अवशेष, खरपतवार के बीज और मिट्टी से मुक्त के रूप में क्रमशः प्रविष्टियाँ सम्मिलित की जाएगी।

3. कुकुर्बिता मोस्काटा (कद्दू), में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कॉलम संख्या (3) उपभोग के लिए ताजे फल के रूप में, कॉलम (4) में भूतान, कॉलम (5) में शून्य और कॉलम (6) में पौधों के अवशेष खरपतवार के बीज और मिट्टी से मुक्त के रूप में क्रमशः सम्मिलित की जाएगी।

4. मूसा पैराडिसियाका (केला), में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कॉलम संख्या (3) उपभोग के लिए ताजी जड़ों के रूप में, कॉलम (4) में भूतान, कॉलम (5) में शून्य और कॉलम (6) में पौधों के अवशेष, खरपतवार के बीज और मिट्टी से मुक्त के रूप में

5. रफानस सैटिवस (मूली) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कॉलम संख्या (3) उपभोग के लिए ताजी जड़ों के रूप में, कॉलम (4) में भूतान, कॉलम (5) में शून्य और कॉलम (6) में पौधे के अवशेष, खरपतवार के बीज और मिट्टी से मुक्त के रूप में क्रमशः सम्मिलित की जाएगी।

6. ट्रिटिकम एस्टिवम (गेहूं), में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ; कॉलम (2) में सूजी और मैदा के रूप में, कॉलम (3) में उपभोग के उद्देश्य के लिए, कॉलम (4) में भूतान, कॉलम (5) में भंडारण कीटों से मुक्ति और कॉलम (6) में न्यूनतम 5 दिनों के लिए एल्युमीनियम फॉस्फाइड (एएलपी) @ 9 ग्राम/मीट्रिक टन के साथ धूमन तथा उपचार को मूल देश से जारी किए गए फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा/पुनः निर्यात; क्रमशः सम्मिलित की जाएगी।

7. ब्रैसिका रापा सब स्पेसिज रैपा (शलजम) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कॉलम संख्या (3) उपभोग के लिए ताजी जड़ों के रूप में, कॉलम (4) में भूतान, कॉलम (5) में शून्य और कॉलम (6) में पौधे के अवशेष, खरपतवार के बीज और मिट्टी से मुक्त के रूप में क्रमशः सम्मिलित की जाएगी।

8. चेनोपोडियम क्विनोआ (क्विनोआ) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कॉलम संख्या (3) उपभोग/प्रसंस्करण के लिए अनाज/बीज के रूप में, कॉलम (4) को भूतान के रूप में, कॉलम (5) को शून्य के रूप में और कॉलम (6) को पौधे के अवशेष, खरपतवार के बीज और मिट्टी से मुक्त के रूप में क्रमशः सम्मिलित की जाएगी।

9. सेचियम एडुले (चायोटे) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कॉलम (1) 786 के रूप में, कॉलम (2) सेचियम एडुले (चायोटे) के रूप में, कॉलम नं. (3) उपभोग के लिए ताजे फल के रूप में, कॉलम (4) में भूतान, कॉलम (5) में शून्य और कॉलम (6) में पौधे के अवशेष, खरपतवार के बीज और मिट्टी से मुक्त के रूप में क्रमशः सम्मिलित की जाएगी।

एस. ओ. 3682(ई), 16 अगस्त, 2023- अनुसूची VI में संशोधन—

पर्सिया अमेरिकाना (एवोकैडो) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ "उपभोग के लिए ताजे फल" के कॉलम (4) में केन्या के रूप में, कॉलम (5) में कीड़े/माइट्स से मुक्त के रूप में: ए) सेराटाइटिस कैपिटटा (भूमध्यसागरीय फल मक्खी), बी) सेराटाइटिस कोसीरा (मारुला फ्रूट फलाई), सी) सेराटाइटिस रोजा (नेटल फ्रूट फलाई), डी) सेरोप्लास्टेस डिस्ट्रक्टर (व्हाइट वैक्स स्केल), ई) क्रिप्टोफ्लेबिया ल्यूकोट्रेटा (फॉल्स कोडिंग मोथ), एफ) स्यूडोथेरेप्टस वेई (नारियल बग), जी) सेलेनास्पिडस आर्टिकुलेटस (वेस्ट इंडियन रेड स्केल), जी) स्पोडोप्टेरा लिटोरेलिस (कपास की पत्ती का कीड़ा) और कॉलम (6) मिथाइल ब्रोमाइड धूमन @ 32 ग्राम / क्यूबिक मीटर के रूप में 2 घंटे के लिए 21 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर एनएपी पर या उसके बराबर भूमध्यसागरीय फल मक्खी और नेटल फल मक्खी के विरुद्ध या 10 दिनों के लिए 0°C या उससे कम पर प्री-शिपमेंट शीत उपचार; 11 दिनों के लिए 0.55°C नीचे; 12 दिनों के लिए क्रमशः 1.1 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान क्रमशः सम्मिलित की जाएगी।

कीटनाशक नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए प्रस्तावित मसौदा नियम:

जी.एस.आर. 645(ई) 01 सितम्बर, 2023-

कीटनाशक नियम, 1971 (बाद में उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के, नियम 10 में, उप-नियम (3ए) के खंड (iii) में: (ए) उप-खंड (iii) में, पहले प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जो केवल ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव का उपयोग करके पेस्ट नियंत्रण कार्यों के लिए लाइसेंस देने

के लिए आवेदन करता है, उसे 12वीं कक्षा / उच्चतर उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ही विशेष रूप से निर्धारित संस्थानों में से किसी एक से ग्लाइफोसेट उपयोग का प्रशिक्षण आवश्यक होगा।

विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) में,

एस.ओ. 3945(ई) 4 सितंबर, 2023- के द्वारा पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में संशोधन

एक्टिनिडिया चिनेंसिस, एक्टिनिडिया डेलिसिओसा (कीवी) मौजूदा प्रविष्टियों के बाद (i) "उपभोग के लिए फल" कॉलम में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ सम्मिलित की जाएगी। (4) ईरान के रूप में, (5) ए से मुक्त) एस्पिडियोटस नेरी (ओलियंडर स्केल) बी) सेराटाइटिस कैपिटटा (भूमध्यसागरीय फल) मक्खी) सी) लोबेसिया बोद्राना (यूरोपीय अंगूर कीट) डायपोर्थे एक्टिनिडिया (कीवी फल का तना-अंत सड़न) ई) बोट्रीटिस सिनेरिया (ग्रे मोल्ड) एफ) फाइटोफथोरा क्रिप्टोगिया (टमाटर फुट सड़न) जी) फाइटोफथोरा मेगास्पर्म (जड़ सड़न) ज) स्यूडोमोनास विरिडीफ्लावा (टमाटर की बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट) और कॉलम (6) प्री-शिपमेंट/इन-ट्रांजिट शीत उपचार के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर 13 दिनों के लिए, 0.55 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे 14 दिनों के लिए, या 1.1 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे 18 दिनों के लिए भूमध्यसागरीय फल मक्खी या मिथाइल ब्रोमाइड धूमन @ 3½ घंटे के लिए 21 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर या उसके समकक्ष तापमान के खिलाफ दिन और पारगमन प्रशीतन, कीवी फलों को अनुमोदित पैकिंग हाउस से प्राप्त किया जाना चाहिए। उत्पादन इकाई कोड (पीयूसी) और पैकिंगहाउस कोड (पीएचसी) को मूल देश द्वारा जारी किए गए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट (पीएससी) पर अंकित किया जाना चाहिए।

कीटनाशक नियम, 1971 में संशोधन के लिए प्रस्तावित मसौदा नियम

जी.एस.आर. 671(ई) 13 सितंबर, 2023- नियम 19 के उप-नियम (3) के "स्पष्टीकरण" पैरा के खंड (i) के शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (i) कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक ऐसे लेबल या पत्रक का उपयोग नहीं करेगा, जो कीटनाशक (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 के प्रारंभ होने की तारीख से नौ महीने की अवधि के बाद, कीटनाशक (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

विनाशकारी कीट और कीट अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) में, केंद्र सरकार पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है।

एस.ओ.4082 (ई) दिनांक 14 सितम्बर, 2023-

अध्याय-III (आयात की विशेष शर्तें) का संशोधन - मौजूदा खंड हटा दिए जाएंगे और निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे।

10 (2) अनुसूची-V, VI और VII में निर्दिष्ट प्रत्येक आयात खेप के साथ मूल देश में अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एक मूल फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र होगा। फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र में इस आदेश की अनुसूची-V और VI के तहत उल्लिखित अतिरिक्त घोषणाएं और विशेष शर्तें शामिल होंगी।

10 (3) पुनः निर्यात के मामलों में, खेप के साथ पुनः निर्यात का फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र और मूल देश द्वारा जारी फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र की मूल/प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी। इसके अलावा, इस आदेश की अनुसूची-V और VI के तहत उल्लिखित सभी अतिरिक्त घोषणाएं और विशेष शर्तें मूल देश द्वारा पूरी की जा सकती हैं और मूल देश द्वारा जारी किए गए फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र में उनका समर्थन किया जा सकता है (या) आंशिक रूप से / पूरी तरह से पूरा किया जा सकता है। पुनः निर्यात के देश द्वारा और उन्हें पुनः निर्यात के फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र में पृष्ठांकित करें। हालाँकि, पेस्ट- फ्री क्षेत्रों, उत्पादन स्थलों, फसल निरीक्षण और प्रमाणीकरण से संबंधित विशेष शर्तों को मूल देश के फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र में अनुमोदित किया जाएगा।



मीडिया कवरेज

डॉ. के. एल. गुर्जर, संयुक्त निदेशक (व.रो.वि.) ने मिर्च की फसल में कीड़ों

और बीमारियों के प्रबंधन पर डीडी किसान चैनल में एक व्याख्यान दिया।

श्री जानेश्वर बंधोर, उप-निदेशक. (की.वि.) द्वारा चावल की फसल में तना छेदक क प्रबंधन पर दिए गए व्याख्यान का प्रसारण डीडी किसान चैनल पर हुआ।



गेहूं के तने का रस्ट- यूजी99 प्रभेद: तेजी से फैलती महामारी

यूजी99 क्या है?

यूजी99 एक विषाणुजनित आनुवंशिक रूप (पैथोटाइप) है। गेहूं के तने के रस्ट रोगजनक पुकिनिया ग्रैमिनिस एफ स्पेसिज- ट्रिटिसी की प्रभेद की पहचान 1999 में युगांडा में की गई थी, इस कारण इसका नाम यूजी99 रखा गया।

यह हमारे लिये चुनौती क्यों है?


- यूजी99 प्रजाति में Sr31 प्रतिरोध जीन को खत्म करने का विषाणु पैटर्न हैं, वर्तमान रस्ट प्रतिरोधी गेहूं की किस्में Sr31 प्रतिरोध जीन पर ही विकसित की गई हैं।
- अब तक अनेक 'Sr' प्रतिरोध जीन पर आधारित किस्मों को यूजी99 द्वारा संक्रमित किया जा चुका है।
- एफएओ ने यूजी99 के छह अतिरिक्त प्रकारों की सूचना दी है जिनके अलग अलग विषाणु पैटर्न हैं।
- चूंकि रस्ट हवा से फैलती है, इसलिए सीमा पार से प्रसार की संभावना अधिक होती है।

क्या यह भारतीय कृषि के लिए खतरा है...?


- भारत 109.6 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है
- अधिकांश भारतीय गेहूं की किस्में Sr प्रतिरोध जीन का उपयोग करके विकसित की गई हैं जिन्हें यूजी99 द्वारा संक्रमित किया जा सकता है।
- ऐसा माना जाता है कि यह 1986-1998 के मध्य फैले पीले रतुआ (प्रजाति-Yr9) के समान ही यूजी99 का प्रसार हो सकता है।
- यूजी99 तेजी से फैलता है और 70% तक उपज हानि कर सकता है।



Yellow rust (Vir. Yr9) spread 1986-1998



THE SPREAD OF WHEAT STEM RUST UG99 LINEAGE



प्रकाशित:

वनस्पति संरक्षण सलाहकार
वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-IV, फरीदाबाद, हरियाणा -
121001
दूरभाष: 0129-2413985, ईमेल:-ppa@nic.in

डिज़ाइन एवं संकलनकर्ता:

श्री ज्ञानेश्वर बंधोर, उप निदेशक (की.वि.), श्री बी बी कुमार, सहा. नि. (ख.वि.), श्री विशाल एल गटे, व.सं.अधि. (व.रो.वि.), डॉ. संतोष पी. पटोले, व.सं.अधि. (व.रो.वि.) सुश्री भावना आर. सिंह, सहा.व.सं.अधि. (की.वि.), और श्री रोहित एम., सहा.व.सं.अधि. (व.रो.वि.)